न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 61/20119
प्रविष्टि दिनांक 01.08.2019

श्रीमति छोटी पत्नि स्व. जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी वजीरावाद तहसील व जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 19.11.2010 वाके ग्राम वजीराबाद तहसीलदार टोंक

उपस्थिति –(1) श्री दौलतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय दिनांक 06.02.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 19.11.2010 को मृतक खातेदार जगन्नाथ पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी वजीराबाद तहसील टोंक की विरासत का नामान्तरकरण सं0 516 दिनांक 19.11.2010 सें तस्दीक किया गया था,जिसमें मृतक जगन्नाथ कि पत्नि का नाम छोटी की जगह अनोख (अपीलांट) का नाम अंकित करते हुए तस्दीक कर दिया जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मगवाई गई तथा प्रकरण म अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 2. बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 398 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 492 रकबा 3 बीघा 10. बिस्वा, खसरा नम्बर 519 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 14 बीधा 7 बिस्वा वाके ग्राम वजीराबाद पटवार हल्का वजीराबाद तहसील टोंक में स्थित है,जिसमे अपीलांट के पति जगन्नाथ का 1/3 हिस्सा था। जगन्नाथ का स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 516 जगन्नाथ के वारिसान उसकी धर्मपत्नि अपीलान्ट व पुत्र हरिचन्द के नाम भर कर दिनाक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

19.11.2010 को तहसीलदार साहब टोक द्वारा तस्दीक किया गया है,परन्तु तहसीलदार साहब टोंक द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण मे अपीलान्ट का नाम गलत रूप स अनोख पत्नि जगन्नाथ अंकित करते हुए तस्दीक किया है। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर ही दिया गया और उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम छोटी के स्थान अनोख गलत रूप से अंकित करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। तहसीलदार ने उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक जगन्नाथ के वारिसान के नामों की सही रूप से न तो स्वंय ने कोई जांच की और न ही स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से जांच करवायी गई और न ही किसी स्वतन्त्र गवाहान के बयान लिये गये और उक्त नामान्तरकरण को अपीलान्ट का छोटी के स्थान पर गलत रूप से अनोख अकित करते हुए तस्दीक किया गया है। स्वर्गीय जगन्नाथ के अनोख नाम की कोई पत्नि नहीं है,बल्कि जगन्नाथ की पत्नि अपीलान्ट छोटी है। ग्राम वजीराबाद म अनोख पत्नि जगन्नाथ नाम की कोई औरत भी नहीं है । अपीलान्ट अपने से पति से प्राप्त हुई सम्पत्ति आराजीयात पर अपने पति के जीवन काल से ही मोके पर बहैसियत मालिक, स्वामी खातेदार के रूप में काबिज चली आ रही है। अपीलांट के नाम से जो राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट आदि सभी में अपीलान्ट का नाम छोटी पत्नि जगन्नाथ बैरवा अंकित हो रखा है। अपीलान्ट अपनी आराजीयात को उपजाऊ बनाने आदि के लिए न तो वह बैकों से ऋण ले सकती है और न ही के सी सी आदि बनवा सकती है तथा न ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकती है।अतः नामान्तकरण को अपीलांट के नाम की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में अपीलांट के कथन पर सहमति प्रदान कर अपीलांट के नाम की हद तक कोई आपत्ति नहीं की है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 19.11.2010 वाके ग्राम वजीराबाद तहसील टोंक में जगन्नाथ पुत्र पुत्र कल्याण जाति बैरवा सा. देह खातेदार की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण जगन्नाथ के वारिसान हरिचन्द पुत्र जगन्नाथ व अनोख पत्नि जगन्नाथ जाति बैरवा हिस्सा 1/3 शेष अकंन जमाबंदी बदस्तूर सा.देह खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का नाम नामान्तकरण संख्या 516 मे छोटी की जगह अनोख अंकित हो गया है,जिसे छोटी अंकित किया जावे। अपीलांट ने साक्ष्य के रूप मे राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश की है जिनमें अपीलान्ट का नाम छोटी अंकित हो रखा है। अपीलांट के कथन पर पेरोकार सरकार ने भी अपीलांट के नाम की हद तक सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार टोंक द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
राजस्थान

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 19.11.2010 वाके ग्राम वजीराबाद तहसील टोंक अपीलांट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते